संख्या- 54/2018/1268 /30-3-18-6बी/2014

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनॉक 19 अप्रैल, 2018**

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 20-03-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-454स0सु0/2018-09स0सु0/2018, दिनॉक 31-03-2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 20-03-2018 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1509.20 लाख के सापेक्ष कोष प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू० 451.20 लाख (रू० चार करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार मात्र) को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु उनके सम्मुख विवरण एवं धनराशि के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4
1	सड़क सुरक्षा सेल के कार्मिकों का मानदेय	100.00	100.00
2	पब्लिसिटी वैन के भुगतान हेतु व्यय (12 वाहन X12 माह X130000)	187.20	187.20
3	अधिकारियों का सी.आई.आई.आर.टी.पुणे में प्रशिक्षण (125X12000)	15.00	15.00
4	कानपुर नगर एवं बरेली में निर्मित आटोमैटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के संचालन एवं रख-रखाव हेतु एक वर्ष का अनुमानित व्यय	25.00	25.00
5	जागरूकता कार्यक्रम हेतु कन्सल्टेन्ट के वार्षिक भुगतान की अनुमानित राशि	25.00	25.00
6	29वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिनांक 23.04.2018 से 30.04.2018 तक मनाये जाने के संबंध में		
क	पक्षकारों का वर्कशाप/ स्कूलों के विशेष कार्यक्रम आदि के लिए प्रत्येक जिले में रू० एक लाख तथा प्रत्येक सम्भाग मण्डल में अतिरिक्त रू० एक लाख का प्रस्ताव	94.00	94.00
ख	सडक सुरक्षा सप्ताह पर राज्य स्तरीय वर्कशाप/सेमिनार का आयोजन	05.00	05.00
	योग =	451.20	451.20 (रू० चार करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार मात्र)

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) उपरोक्त के सम्बन्ध में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(5) उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के राजस्व मद के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

संख्या- 54/2018/1268(1)/30-3-2018, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(विनोद कुमार)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।